न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 36/2022

CMS NO. : 2022/66

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. सुभाषचंद पुत्र रामकुमार जाति खटीक निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

1. घनश्याम पुत्र सतूराम जाति खटीक निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

2. तहसीलदार जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 28/02/2022

उपस्थित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::- दिनांक:- 31/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज मे खसरा नम्बर 98 रकबा 1.4811 हैक्टयर यानि 9 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 103/12 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई है उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस पर मौके पर बंट्वाडा हो रखा है। इस जमीन में प्रार्थी के साथ अन्य सहहिस्सेदार भी है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की भूमि के पास में ही अप्रार्थीगण की जमीन खसरा नम्बर 97 रकबा 0.7042 हैक्टयर व खसरा नम्बर 103/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर व खसरा नम्बर 96/1 रकबा 0.6475 हैक्टयर की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजीयो में से सेटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 98 मूल था और उसके पास में खसरा नम्बर 103 मूल था और खसरा नम्बर 98 के उत्तर दिशा मे खसरा नम्बर 97 जो अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि थी तथा खसरा नम्बर 103 के तरमीम होने से कई बटा नम्बर लग गये। नकल जमाबन्दी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की व असल सीट प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की भूमि के बीच से व अप्रार्थी की भूमि के पास से जैतारण से मेडता की बाईपास रोड का निर्माण हुआ उस समय कुछ भूमिया राज्य सरकार ने रोड के लिये अवाप्त की थी जिसमे प्रार्थी की भूमि को अवाप्त किया था और [illegible] रोड का निर्माण हुआ। लेकिन खसरा नम्बर 98 में से जब रोड [illegible] खसरा नम्बर 98 दो भागो मे विभाजित हो गया जिसमे दक्षिण दिशा [illegible] खसरा नम्बर 98 का रहा और रोड के आगे अर्थात उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 98 का कुछ भाग [illegible] गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 98 दो भागो में विभाजित हो गई परन्तु रोड निकले और प्रार्थी की भूमि अवाप्त होने के पश्चात सम्पूर्ण रिकॉर्ड जब ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थी की भूमि का जो छोटा खसरा नम्बर 98 के उत्तर दिशा का भाग था उसको

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

लाईन नक्शा तैयार करते समय रेकर्ड से हटा दिया। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी की र से नजरी नक्शा बनाकर पेश किया जा रहा है जिसमे मार्क ए बी सी भू भाग ऑनलाईन नक्शा तैयार करते समय उक्त भू भाग को अर्थात मार्क ए बी सी र्तमान ऑनलाईन नक्शे मे पूर्णतया हटाकर इस जगह को खसरा नम्बर 97 का ाग मानते हुए सम्पूर्ण भाग को खसरा नम्बर 97 में इन्द्राज कर दिया जबकि मार्क बी सी रोड निकलने के बाद भी खसरा नम्बर 98 का ही भाग था जो असल ीट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से स्पष्ट है तो इस प्रकार रोड अवाप्त होने े पश्चात प्रार्थी की खसरा नम्बर 98 के भू भाग जो नजरी नक्शे मे ए बी सी र्शाया गया है उसको ऑनलाईन नक्शा अर्थात वर्तमान राजस्व नक्शा से हटाकर के स भाग को खसरा नम्बर 97 का भाग बता दिया और तरमीम को गलत रूप से न्द्राज कर दिया। जबकि जो बाईपास रोड है वो खसरा नम्बर 103 मूल व 98 में े होकर ही गुजरी इसलिए वर्तमान जो मानचित्र है उसकी दुरुस्ती कर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 103/12 व खसरा नम्बर 98 एवं अप्रार्थी के खसरा नम्बर 97, 96 व सरा नम्बर 103 इन सभी का सीमाज्ञान किया जाकर नये सिरे से तरमीम को दुरुस्त किया जावे इस हेतू प्रार्थी की और से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी की भूमि को तरमीम करते वक्त तत्कालीन आर आई पटवारी ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 98 जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी दर्शाया गया है इसको पूर्णतया हटा दिया और प्रार्थी की खसरा नम्बर 98 को रोड के दक्षिण तरफ ही बताया गया है जो कि तरमीम करते समय त्रुटिवश किया गया है इसलिए प्रार्थी की भूमि को मौके की स्थिति के अनुसार नये सिरे से तरमीम करवाने हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थी की भूमि मे गलत तरमीम करने से प्रार्थी का जो उतरी दिशा का नजरी नक्शे मे वर्णित ए बी सी भू भाग है वहां पर अप्रार्थी ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया तब प्रार्थी ने दिनांक 24/02/2022 को निर्माण कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थी ने कहा कि खसरा नम्बर 98 यहां नहीं है तो प्रार्थी ने सम्पूर्ण आराजी का सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्पष्ट मना कर दिया और ज्यादा संख्या में कारीगर मजदूर लगाकर प्रार्थी के हक हिस्से के भू भाग जो नजरी नक्शे मे मार्क ए बी सी है वहां पर दीवार निकालना प्रारम्भ किया, जबकि गलत तरमीम होने से अप्रार्थी उसका फायदा उठाकर प्रार्थी के हक हिस्से के भू भाग खसरा नम्बर 98 को अपने हिस्से में मिलाकर निर्माण कर रहा है यदि अप्रार्थी गलत तरमीम के आधार पर मौके पर निर्माण कर लेते है और सीमाज्ञान नहीं करवाते है तो प्रार्थी को भारी असीम क्षति होगी एवं मौके पर विवाद बढ़ेगा लड़ाई झगडा होगा इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित है उसका सम्पूर्ण सीमाज्ञान कर नक्शा सीट के अनुसार नये सिरे से तरमीम की जावे जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमियो का अलग अलग आंकलन होकर उसके अनुसार मानचित्र तैयार हो सके। इस हेतु यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थी की भूमि की जो तरमीम की गई थी वो एकदम पूर्णतया गलत की गई और मौके पर बिना नापचौक किये ही तत्कालीन आर आई पटवारी ने मनमर्जी से तरमीम कर दी जिससे वर्तमान नक्शे के अनुसार प्रार्थी की जितनी रिकॉर्ड मे आराजी है उतनी मौके पर है ही नहीं इसलिए वर्तमान तरमीम को निरस्त कर नये सिरे से तरमीम करने का आदेश प्रदान करावे एवं मौके पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी की भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान करावे और सीमाज्ञान के आधार पर नये सिरे से तरमीम की जाकर रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी की भूमि सरहद मौजा जैतारण मे स्थित होने से प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 98 एवं खसरा नम्बर 103/12 की भूमि राजस्व मौजा जैतारण में आई हुई वास्तविकता इस प्रकार से है कि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 08 का पूर्व में कुल रकबा 10.299 बीघा था। तत्पश्चात भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 29.01.2016 के तहत मौजा जैतारण में स्थित खराश नम्बर 98 में से 0.1882 हैक्टेयर यानि 1.03 बीघा व खसरा नम्बर 103 मे से खसरा नम्बर 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 के रूप में कुल रकबा 0.9228 हैक्टेयर की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई थी। इस अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भूमि के तत्कालीन खातेदार उगमाराम वगैरह को अधिगृहण एजेन्सी द्वारा दिया जा चुका है। नकल भूमि अवाप्ति की अधिसूचना इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर 98 के कुल रकबा 10.299 बीघा यानि 1.6673 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 103 की भूमि में से खसरा नम्बर 98/1 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 के रूप में कुल रकबा 0.9228 हैक्टेयर की भूमि राजमार्ग के लिये नियमानुसार अवाप्त की जा चुकी है तथा शेष खसरा नम्बर 98 का रकबा 1.4811 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 103 व दिगर खसरा नम्बरान की भूमि मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 98 वर्तमान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 मेड़ता रायपुर से दक्षिण तरफ स्थित है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में वक्त अवाप्ति से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से मौके की जांच करते हुये माफिक मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा राजस्व टीम एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के कार्मिको द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। जिसकी प्रति इस जवाब के साथ पेश है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 98 व 98/1 एवं 103 मूल एवं 103 के मीन खसरा नम्बरान की मौका स्थिति अनुसार इस नक्शे में दर्ज है। इस प्रकार से राजस्व विभाग तहसीलदार जैतारण, हल्का पटवारी, भू.अभि.नि. सहित सभी अधिकारियों की ... में तैयार किये गये नक्शे की प्रति इस जवाब के साथ पेश ... भाग माना जावे। कि इसी प्रकार से मूल खसरा ... 103 में से राजमार्ग के लिये खसरा नम्बर 98/1 एवं 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 का भाग अधिगृहण कर लिया जाने के बाद खसरा नम्बर 98 व 103 मीन खसरा नम्बरान के मूल खातेदारो ने अलग अलग पंजीबद्ध बेचान विलेख के जरिये अपने सम्पूर्ण रकबा की भूमि का बेचान प्रार्थी सुभाष चन्द्र सहित अन्य छः हिस्सेदारों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

न करते हुये मौके पर कब्जा सौप दिया था। इस प्रकार से वर्तमान में इस रा नम्बर 98 व 103/12 के निम्न खातेदार है- पेमाराम पुत्र सतुराम 1/7 वा सा, प्रहलाद पुत्र सोनिया 3/14 वा हिस्सा, रामेश्वर लाल पुत्र सतुराम 2/21 वा सा, विक्रम पुत्र घनश्याम सरगरा 5/21 वा हिस्सा, विजयराम पुत्र भौलाराम 28 वा हिस्सा तथा प्रार्थी सुभाष चन्द्र पुत्र रामकुमार का 17/84 वा हिस्सा है। प्रकार से प्रार्थी सुभाष चन्द्र अकेले ने अदालत श्रीमान के समक्ष यह झूठी व राधार कार्यवाही पेश की है। जिसमें अपने सहहिस्सेदारो को वाद पक्षकार नही नाया है। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शेष 67/84 वे हिस्से की मि के खातेदारों को इस खसरा नम्बर 98 के नाप चौप, मौका स्थिति एवं मोझान व रकबे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। न ही हहिस्सेदारो द्वारा इस प्रकार का कोई विवाद किया जा रहा है। प्रार्थी सुभाष चन्द्र ने प्रार्थीगण को तंग व परेशान कर उद्धापित करने एवं भारी राशि ऐठने की मंशा से ह निराधार कार्यवाही पेश की है जो काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें। स पद में प्रार्थी ने भूमि का मौके पर बंटवाड़ा होने का उल्लेख किया है लेकिन वास्तविकता में बंटवाड़ा होने बाबत कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नही हुआ है। जिससे भी प्रार्थी सद्भावी नही है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के माफिक प्रार्थी द्वारा अपने सहहिस्सेदारो का वाद पक्षकार नही बनाने से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई थी। लेकिन इस पद में प्रार्थी की ओर से अंकित यह कथन कतई गलत है कि खसरा नम्बर 98 की भूमि के दो भाग होकर उक्त राजमार्ग इस भूमि के बीच में से निकला हो साथ ही एन एच 458 के उत्तरी व दक्षिणी दोनो तरफ खसरा नम्बर 98 का भू भाग छुटा हो जिसमें उत्तरी तरफ का भाग छोटा रहा होने से ऑनलाईन तरमीम करने के दौरान स भू भाग को नक्शे से हटा दिया गया हो, से सम्बन्धित इस प्रकार के आरोप कतई झूठे व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है जो कतई गलत है। साथ ही नजरी नक्शे से विवाद का कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 98, 103/12, 97, 96 व 103 की तरमीम को दुरूस्त किये जाने की कतई कोई आवश्यकता नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज की जायें। साथ ही इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 29.01.2016 के तहत मौजा जैतारण में खसरा नम्बर 98 में से 0.1862 हैक्टेयर यानि 1.03 बीघा का राष्ट्रीय राजमार्ग 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई थी। इस अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भूमि के तत्कालीन खातेदार उगमाराम वगैराह को अधिगृहण ऐजेन्सी द्वारा दिया जा चुका है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर 98 के कुल रकबा 10.299 बीघा यानि 1.6673 हैक्टेयर की भूमि राजमार्ग के लिये नियमानुसार अवाप्त की जा चुकी है। तथा शेष खसरा नम्बर 98 का रकबा 1.4811 हैक्टेयर की भूमि मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 98

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 मेड़ता रायपुर से दक्षिण तरफ त है। तथा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी धिसूचना नई दिल्ली दिनांक 29.01.2016 के तहत मौजा जैतारण में स्थित खसरा बर 97 की सम्पूर्ण भूमि मे से 0.1781 हैक्टेयर यानि 1.02 बीघा को राष्ट्रीय जमार्ग संख्या 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई थी। इस अवाप्त की गई भूमि मुआवजा भूमि के तत्कालीन खातेदारों को दिया जा चुका है। इस प्रकार से इस सरा नम्बर 97 के कुल रकबा 5.09 बीघा यानि 0.8823 हैक्टेयर की भूमि मे से .1781 हैक्टेयर की भूमि राजमार्ग के लिये नियमानुसार अवाप्त की जा चुकी है था शेष खसरा नम्बर 97 का रकबा 0.7042 हैक्टेयर की भूमि मौके पर मौजूद । खसरा नम्बर 97 वर्तमान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 मेड़ता ायपुर से उत्तरी तरफ स्थित है। इस प्रकार से उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये भूमि वाप्त किये जाने से पूर्व खसरा नम्बर 97 व 98 की दोनो भूमियो की सीमाये ास पास में स्थित थी। तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 468 के लिये खसरा म्बर 97 एवं 98 दोनो मे से ही अलग अलग रकबा खसरा नम्बर 97/1 के रूप में 0.1781 व खसरा नम्बर 98/1 के रूप में 0.1862 की भूमि अवाप्त की जा चुकी है एवं मौके पर माफिक अवाप्ति के अनुसार अवाप्त सुदा भूमि पर सड़क बन चुकी है। साथ ही मौका स्थिति अनुसार राजस्व विभाग एवं सड़क परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई मौका स्थिति का नजरी भी इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। जिसके अंनुसार एन एच 458 के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 98 स्थित है। इसी प्रकार इसी एन एच 458 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 97 की भूमि स्थित है। इस प्रकार से वर्तमान में खसरा नम्बर 97 व 98 की भूमियों के बीच एन एच 458 स्थित होने से दोनो खसरा नम्बरान की भूमियो की सीमाये आपस में नहीं मिलती है। न ही पक्षकारो के बीच सीमा चिन्हो व नाप चौप को लेकर कोई विवाद है। इस प्रकार से प्रार्थी ने इस पद में नाप चौप व सीमा विवाद बाबत अनावश्यक तथ्यो का उल्लेख किया है जो अस्वीकार है। इसी प्रकार राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 103 का पूर्व में एक चक एवं एक खसरे के रूप में था तत्पश्चात भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 29.01.2016 के तहत मौजा जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 103 मे से खसरा नम्बर 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 के रूप में कुल रकबा 0.9228 हैक्टेयर की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई थी। इस अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भूमि के तत्कालीन खातेदारों को अधिगृहण ऐजेन्सी द्वारा दिया जा चुका है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 103 की भूमि में से खसरा नम्बर 103/23, 103/24, 103/2[illegible] के रूप में कुल रकबा 0.9228 हैक्टेयर की भूमि राजमार्ग के लिये [illegible] अवाप्त की जा चुकी है। इस प्रकार शेष खसरा नम्बर 103 व [illegible] नम्बरान की भूमि मौके पर मौजूद है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 103/9 [illegible] भूमि वर्तमान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 मेड़ता रायपुर से उत्तरी तरफ स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं उसके अन्य सहहिस्सेदारो की भूमि खसरा नम्बरं 103/12 की भूमि वर्तमान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 मेड़ता रायपुर से दक्षिणी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं

है। साथ ही प्रार्थी के खसरा नम्बर 103/12 की भूमि एवं जवाब देहन्दा के खसरा नम्बर 103/9 के बीच में खसरा नम्बर 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 की राजमार्ग की भूमि स्थित होने से खसरा नम्बर 103/9 एवं 103/12 की भूमियों के बीच में भी किसी भी प्रकार का सीमा विवाद होने एवं सीमा निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित तथ्यो के दस्तावेजी सबूत के रूप में वक्त अवाप्ति से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से मौके की जांच करते हुये माफिक मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा राजस्व टीम एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था जिसकी प्रति इस जवाब के साथ पेश है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 103/9, 103/12 एवं अन्य 103 के मीन खसरा नम्बरान की मौका स्थिति अनुसार इस नक्शे में दर्ज है। इस प्रकार से उपर वर्णित अनुसार प्रार्थी ने कपोल कल्पित आधारो पर सीमाज्ञान करवाने से सम्बन्धित एवं तरमीम से सम्बन्धित विवाद होने के बाबत झूठे तथ्य उल्लेखित करते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। जिससे सम्बन्धित विस्तृत जवाब उपर वर्णित पद संख्या 01 व 03 में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई गलत झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जिससे सम्बन्धित विस्तृत जवाब उपर वर्णित पद संख्या 01 व 03 में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। इस प्रकार से दिनांक 24.02.2022 का उल्लेख प्रार्थी ने कार्यवाही करने की मंशा से झूठा किया है। जवाब देहन्दा ने अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर न तो कोई कब्जा किया न ही मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद किया है। पक्षकारो की भूमिया अलग अलग होने एवं मौका स्थिति में भी भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित होने से इन भूमियो के बाबत सीमा विवाद होने से सम्बन्धित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा ने अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर न तो कोई कब्जा किया न ही मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद किया है। साथ ही प्रार्थी की भूमि एन एच 458 के दक्षिणी तरफ स्थित है जिसका रकबा कम या ज्यादा है तो इससे जवाब देहन्दा एवं उसकी भूमि का कोई सम्बन्ध नहीं है। पक्षकारों की भूमिया अलग अलग होने एवं मौका स्थिति में भी भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित होने से इन भूमियों के बाबत सीमा विवाद होने से सम्बन्धित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का विस्तार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी ग्राम जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 98 रकबा 1.4811 हैक्टर व खसरा संख्या 103/12 रकबा 01-11 बीघा जिसका मौके पर बंट्वाड़ा हो रखा है। तथा प्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थी की भूमि के पास

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

र्थीगण की जमीन खसरा संख्या 103/9 रकबा 0.0405 हैक्टर व खसरा संख्या 5/1 रकबा 0.6475 हैक्टर आई हुई है। खसरा संख्या 98 के उत्तर में खसरा ख्या 97 जो अप्रार्थी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि थी तथा खसरा संख्या 03 के तरमीम होने से कई बट्टा नम्बर लग गये। जैतारण-मेड़ता बाईपास रोड़ र्माण के लिए प्रार्थी की भूमि को अवाप्त किया गया जिससे खसरा संख्या 98 के भाग हो गए। लेकिन प्रार्थी की भूमि का छोटा खसरा संख्या 98 के उत्तर दिशा ा भाग था उसको ऑनलाईन नक्शा तैयार करते समय रेकर्ड से हटा दिया, जिसका ार्थी की ओर से नजरी नक्शा पेश है जिसमें मार्क ए, बी, सी को ऑनलाईन नक्शे पूर्णतया हटाकर उसकी जगह खसरा संख्या 97 का भाग मानते हुए खसरा संख्या 7 में इन्द्राज कर दिया गया। अतः वर्तमान मानचित्र को दुरूस्त कर सम्पूर्ण खसरा संख्या 103/12 व खसरा संख्या 98 तथा अप्रार्थी के खसरा संख्या 97, 96 व 03 का सीमाज्ञान कर नये सिरे से तरमीम दुरूस्त कर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 98 का पूर्व में कुल रकबा 10.299 बीघा था। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा राजमार्ग हेतू जिसमें से 0.1862 हैक्टर यानि 01-03 बीघा व खसरा संख्या 103 में से 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 के रूप में कुल रकबा 0.9228 हैक्टर भूमि को राजमार्ग हेतू अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा तत्कालीन खातेदार को भुगतान किया गया था। खसरा संख्या 98 वर्तमान में मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के दक्षिणी तरफ स्थित है। खसरा संख्या 98 के भूमि दो भागो में विभाजित नही हुई है तथा न ही ऑनलाईन तरमीम में कोई त्रुटि हुई है प्रार्थी द्वारा झुठा नजरी नक्शा पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

3. अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 98 व 103/12 के सहखातेदारान् रामेश्वरलाल, विजयराम, विक्रम एवं पेमाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जिन्होने शपथ पत्र पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया है, किसी प्रकार के सीमा विवाद होने तथा तरमीम आदि में त्रुटि होने से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4. जमाबंदी ग्राम जैतारण संवत् 2077 से 2080 के अनुसार खसरा संख्या 98 व 103/12 प्रार्थी एवं सात अन्य सहखातेदारान् की अविभाजित कृषि भूमि है। खसरा संख्या 97 व 103/9 खातेदार घनश्याम पुत्र सतुराम की खातेदारी भूमि है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 हेतू ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 98 में से 0.1813 हैक्टर तथा खसरा संख्या 97 में से 0.1770 हैक्टर, खसरा संख्या 103/12 में से 0.0252 हैक्टर तथा खसरा संख्या 103/9 में से 0.1539 हैक्टर भूमि अर्जित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 458 एवं इससे लगते खसरान् का जारी सुपर इम्पोज नक्शा तथा ग्राम जैतारण के राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के एक तरफ इससे लगता खसरा संख्या 98 व 103/12 तथा दूसरी तरफ इससे लगता खसरा संख्या 97 एवं 103/9 की भूमि है। इस प्रकार राजमार्ग के दोनो तरफ स्थित चारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

रान् की भूमि में से जब भूमि अवाप्त की गई है तो खसरा संख्या 98 की शेष मि राजमार्ग के दूसरी तरफ राजमार्ग एवं खसरा संख्या 97 के मध्य शेष रहने का न ही उत्पन्न नही होता है। भू नक्शे से भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 98 व 03/12 तथा खसरा संख्या 97 व 103/9 की भूमियां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से लगती है इस प्रकार किसी प्रकार की तरमीम से संबंधित कोई त्रुटि साबित ही होती है। तथा न ही प्रार्थी उक्त त्रुटि को साबित करने में सफल हुआ है। साथ प्रार्थी की खसरा संख्या 98 व 103/12 का एकमात्र खातेदार नही है तथा न ही न्य सहखातेदारान् को पक्षकार संयोजित किया है लिहाजा हस्तगत प्रार्थना पत्र रहीन एवं नासाबित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया उचित एवं धिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी ंतर्गत धारा 128, 131 व 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 लीभांती साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। त्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested